

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 जनवरी, 2004

(आयकर)

का.आ. 28(अ).— आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 120 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की दिनांक 3 जुलाई, 2001 की अधिसूचना संख्या का.आ. 732(अ) समय-समय पर यथासंशोधित, में निम्नलिखित संशोधन करता है, नामतः :—

(i) अनुसूची-I में, क्रम संख्या 108 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः :—

अनुसूची-I

क्रम सं.	अधिकारी का पदनाम	मुख्यालय	प्रादेशिक क्षेत्र
1	2	3	4
108	आयकर आयुक्त, पुणे-III	पुणे, महाराष्ट्र	महाराष्ट्र राज्य में— (क) पुणे जिले में निम्नलिखित नाम के क्षेत्र (i) भवानी पेठ (ii) न्यू टिम्बर मार्किट (iii) बुधवार पेठ (iv) शुक्रवार पेठ (v) रविवार पेठ (vi) बारामती तालुका (vii) दौन्द तालुका, तथा (viii) इन्डापुर तालुका (ख) आयकर आयुक्त, पुणे-V के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत क्षेत्रों से भिन्न पुणे जिला (ग) सतारा जिला
व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का वर्ग		मामले अथवा मामलों का वर्ग	
5		6	
(क) कम्पनियों, सहकारी समितियों तथा सार्वजनिक न्यास से भिन्न होने के कारण कालम (6) की मद (क) में उल्लिखित व्यक्ति जो व्यवसाय अथवा कारोबार से आय से भिन्न स्रोत से आय प्राप्त कर रहे हैं तथा कालम (4) की मद (क) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के अन्तर्गत निवास कर रहे हैं, (ख) कम्पनियों, सहकारी समितियों तथा सार्वजनिक न्यास से भिन्न होने के कारण कालम (6) की मद (क) में उल्लिखित व्यक्ति जो व्यवसाय अथवा कारोबार से आय प्राप्त कर रहे हैं तथा जिनके कारोबार का प्रमुख स्थान (4) की मद (क) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के अन्तर्गत है,		(क) व्यक्ति जिनकी आय का प्रमुख स्रोत "वेतन से भिन्न है" (ख) व्यक्ति जिनकी आय का प्रमुख स्रोत विधिक, चिकित्सा, इंजीनियरी, वास्तु शिल्प व्यवसाय अथवा लेखाविधि का व्यवसाय अथवा तकनीकी की परामर्शी सेवा अथवा आन्तरिक साज-सज्जा अथवा कोई अन्य व्यवसाय है जिसे बोर्ड द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 44क की उपधारा (1) के अन्तर्गत सरकारी राजपत्र में अधिसूचित किया गया है।	
(ग) कम्पनियों से भिन्न होने के कारण कालम (6) की मद (ख) अथवा		(ग) व्यक्ति जिनकी आय का प्रमुख स्रोत "वेतन" से है तथा जो	

(ग) में उल्लिखित व्यक्ति जो व्यवसाय अथवा कारोबार से आय से भिन्न स्रोत से आय प्राप्त कर रहे हैं तथा कालम (4) की मद (ख) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र में निवास कर रहे हैं,

(घ) कम्पनियों से भिन्न होने के कारण कालम (6) की मद (ख) में उल्लिखित व्यक्ति जो कारोबार अथवा व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे हैं तथा जिनके कारोबार का प्रमुख स्थान कालम (4) की मद (ख) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के अन्तर्गत है,

(ङ) कम्पनियों से भिन्न होने के कारण कालम (6) की मद (घ) में उल्लिखित व्यक्ति जो कारोबार अथवा व्यवसाय से आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं तथा कालम (4) की मद (ग) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर निवास कर रहे हैं,

(च) कम्पनियों से भिन्न होने के कारण कालम (6) की मद (घ) में उल्लिखित व्यक्ति जो कारोबार अथवा व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे हैं तथा जिनके कारोबार का प्रमुख स्थान कालम (4) की मद (ग) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर है,

(छ) कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत कम्पनियां होने के कारण कालम (6) की मद (घ) में उल्लिखित व्यक्ति जिनका पंजीकृत कार्यालय कालम (4) की मद (ग) में उल्लिखित क्षेत्र में है।

(i) केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, रक्षा लेखा नियंत्रक (दक्षिणी कमान), पुणे तथा रक्षा लेखा विभाग के कर्मचारी हैं तथा जो रक्षा लेखा (अधिकारी तथा समाशोधन केन्द्र) पुणे, पुणे विश्वविद्यालय की लेखा परीक्षा के अधीन हैं अथवा

(ii) पेंशनभोगी हैं।

(घ) कालम (5) की मद (ङ) (च) तथा (छ) में तदनुरूपी प्रविष्टियों में उल्लिखित व्यक्तियों के सभी मामले।

2. यह अधिसूचना सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

[अधिसूचना सं. 6/2004/फा.सं.187/3/2003-आयकर नि. 1]

देवी शरण सिंह, अवर सचिव